संख्या-152/2020/3098/26-3-2020

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 दिसम्बर 2020

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-1701-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-5.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-146/ज0जा0वि0/लेखा/2020-21, दिनांक-29.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-1701-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-11.00 लाख (रू0 ग्यारह लाख मात्र) के सापेक्ष **अवशेष धनराशि रू0-5.50 लाख (रू0 पांच लाख पचास हजार मात्र)** अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-एकमुश्त व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्ति किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है।

(3)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2020-21 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-1701-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

अशोक कुमार
विशेष सचिव

संख्या-152/2020/3098(1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।